

13-1177

वकील उभय पक्ष उभय पक्षा परार्थी पत्र
को समन चर्चा | पत्रावली वाले पक्षा
परार्थी पत्र दिनांक 11-12-17 को पेश हो

11-12-17

आपत्त निवृत्त एका कार्य (नं. 107) है

वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठाधीन
अधिकारी... 28/12/17... पर है।
पूर्वानुसार दिनांक... 28-12-17... का

28-12-17

प्राथी द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश कर
मूल वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर
मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है।
अतः मूल वाद का निस्तारण होने के कारण
इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही श्रेष्ठ नहीं कथनी
है। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। दिनांक
21-9-2017 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश
निस्तृत किया जाता है। पत्रावली कैशालशमर होकर
वाद तकमील जाब्ता शामिल मूल वाद रहे।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (रिजिस्ट्रार)
श्रीगंगानगर